

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>सिद्धराजसिंह बनाम लो.सू.अ.( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 261/2020</p>  | <p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>11.01.21</p>    | <p>अपीलार्थी विद्वराजसिंह पुत्र रतनाराम गोदारा, ग्राम राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.11.20 में उसके द्वारा (1) ग्राम राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 222 का सेटलमेंट से आज तक मिसल बंदोबस्त, जमाबंदी एवं से सेटलमेंट से आज तक प्रत्येक नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( जिला कलक्टर भू.अ. शाखा जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा कलक्टर कार्यालय जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा, कलक्टर कार्यालय जोधपुर से जरिये पत्रांक 12406 दिनांक 31.12.2020 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा ख.नं. 222 ग्राम राणेरी से संबंधित चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 10154 दिनांक 04.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अपर कलक्टर जोधपुर को भिजवाई जा चुकी है।</p> <p>चूंकि प्रभारी अधिकारी, भू.अ. शाखा, कलक्टर कार्यालय जोधपुर द्वारा सूचना तैयार कर लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है अतः लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करावे तथा इस कार्यालय को पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> |  |